मांग संख्या 20

मुख्य शीर्ष 2215

मद कमांक 1

डिक्री धन के भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 3.26 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 3.26 लाख की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,26,195 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4215

मद कमांक 2

जिला-रायपुर के 28 ग्रामों, जिला-बलौदाबाजार के 71 ग्रामों, जिला-महासमुंद के 154 ग्रामों, जिला-धमतरी के 120 ग्रामों, जिला-दुर्ग के 14 ग्रामों एवं जिला-कबीरधाम के 45 ग्रामों में सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना (कुल अनुमानित लागत ₹ 4214.00 लाख) हेतु ₹ 2632.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।